कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,जिला भोपाल (म0प्र0)

क्रमांक/329/अजिंद/2021

भोपाल,दिनांक 15/06/2021

// आदेश//

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973)

भोपाल जिले में कोरोना संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए समय समय पर कोरोना कफ्र्यू के प्रतिबंधों में शिथिलता के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं । इसी कम में मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 35–09/2020/दो/सी–2 दिनांक 15–06–2021 में जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में पूर्व में जारी कोरोना कर्फ्यू के सभी आदेशों को अधिकमित करते हुए **मै, अविनाश लवानिया, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला भोपाल** दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144, The Epidemic Disease Act, 1897 एवं National Disaster Management Act-2005 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग मे लाते हुये **सम्पूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश पर्यन्त तक** निम्नानुसार **प्रतिबंधात्मक आदेश/कोरोना कर्फ्यू** आदेश पारित करता हूँ :–

1. सम्पूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक नाईट कफ्र्यू रहेगा।
2. सम्पूर्ण जिले में प्रत्येक रविवार को जनता कफ्र्यू रहेगा। शनिवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार को प्रातः 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। उक्त अवधि में दूध डेरी प्रातः 06.00 से 09.00 बजे तक तथा केमिस्ट एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान पूरे दिन खुले रह सकेगें, वैक्सीनेशन कार्य में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों एवं वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों को आने एवं जाने के लिए,आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औद्योगिक इकाईयो के श्रमिको/कर्मियो, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट/रेल्वे स्टेशन आने जाने तथा परीक्षा/प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिये छूट रहेगी।
3. सभी सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/मनोरंजन/ सांस्कृतिक/धार्मिक आयोजन/मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेगे ।
4. सभी प्रकार के धरना/प्रदर्शन/जुलूस/ज्ञापन/एकत्रीकरण इत्यादि पूर्ण रुप से प्रतिबंधित रहेगे।
5. स्कूल/ कॉलेज/ शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान बंद रहेगे । आनलाईन क्लासेस चल सकेंगी ।
6. सभी धार्मिक/पूजा स्थल पर एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनो को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बंधनकारी होगा ।
7. समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम, मंडल के कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 100% कर्मचारियो की उपस्थिति में खुलेंगे ।

Scanned with CamScanner

8. समस्त प्रकार की दुकानें व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय तथा शापिग मॉल, रात्रि 08.00 बजे तक खुल सकेंगे ।
9. सभी सिनेमाघर, थियेटर, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे ।
10. समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियॉ सतत चल सकेंगी ।
11. जिम एवं फिटनेस सेंटर, रात्रि 08.00 बजे तक 50% कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे ।
12. समस्त खेल कूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे ।
13. समस्त रेस्टोरेन्ट, बार एवं क्लब 50% कैपेसिटी से रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगे। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगे ।
14. विवाह आयोजनो में दोनो पक्षों के मिलाकर अधिकतम 50 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिये विवाह समारोह में उपस्थित होने वाले अतिथियों के नाम की सूची आयोजक को सम्बंधित क्षेत्र के एस0डी0एम0 को आयोजन से पूर्व प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा ।
15. अधिकतम 10 व्यक्तियों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी ।
16. रूल आफ सिक्स :– अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा ।
17. अन्तराज्यीय (intrer state) तथा राज्यांतरिक (intra state) व्यक्तियों, माल (goods) एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा ।
18. परम्परागत रूप से Labour Market कोविड–19 के दिशा निर्देशों का पालन करने की शर्त पर चालू रह सकेंगे । नगर निगम द्वारा सभी स्थानों पर कोविड–19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराया जाए।
19. सब्जियां/फल फूल के थोक बाजार नगरीय क्षेत्र से बाहर एवं निर्धारित स्थानों पर संचालित होगें। शहर के अंदर हाथ ठेला आदि पर सब्जी/फल फूल का रिटेल में विकय चलित रुप में ही कर सकेगें, एक जगह पर खडे होकर विकय नही किया जाएगा। हाट बाजार पूर्णतः बंद रहेंगे।
20. समस्त सैलून व्यवसायी एक से अधिक कुर्सी होने पर अधिकतम 50% क्षमता के साथ एक कुर्सी छोडकर निर्धारित दो गज की दूरी बनाए रखते हुए व्यवसाय कर सकेंगे । सैलून के अन्दर विजि्टर/वैटिंग के रूप में बैठना प्रतिबंधित रहेगा ।
21. समस्त होटल/सैलून इत्यादि स्थानों पर संचालित स्पा (SPA) सेंटर/कार्य पूर्णतः बंद रहेंगे ।

सभी सार्वजनिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड–19 के प्रोटोकॉल (फेस मास्क, सेनिटाइजर, 2 गज की दूरी, गोले बनाना व रस्सी बांधना) का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी व संबंधित प्रतिष्ठान को सील किया जा सकेगा।

प्रतिष्ठान के मालिक/प्रबंधकों द्वारा यह प्रयास किया जाए कि उनका स्वयं का तथा प्रतिष्ठान पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका हो ।

Scanned with CamScanner

- शहर के सभी वार्डो में साप्ताहिक औसत के आधार पर डार्क ग्रीन, ग्रीन, येलो, ओरेन्ज व रेड जोन में बांटा जाएगा जिसमें आरेन्ज व रेड जोन में आने वाले वार्डो को कन्टेनमेंट एरिया बनाकर उपरोक्त गतिविधियॉ पूर्णतः प्रतिबंधित की जाएगी।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है । चूॅकि वर्तमान मे मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियॉ नही है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावे । अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश **दिनॉक 16 जून 2021 से प्रभावशील होगा।** इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी ।

यह आदेश दिनॉक **15.06.2021** को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया ।

(अविनाश लवानिया)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जिला भोपाल

पृष्ठांकन कमांक / 330 / अजिद / 2021

भोपाल, दिनॉक 15.06.2021

प्रतिलिपि :—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1 अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2— आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल
3— अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भोपाल ज़ोन भोपाल।
4— उप पुलिस महानिरीक्षक,शहर रेंज, भोपाल।
5— आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल।
6— समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट,समस्त एसडीएम / समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भोपाल।
7— समस्त पुलिस अधीक्षक / समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक / समस्त नगर पुलिस अधीक्षक / समस्त थाना प्रभारी भोपाल।
8— केन्द्र निदेशक आकाशवाणी / दूरदर्शन भोपाल।
9— उप संचालक, संभागीय जनसंपर्क भोपाल ।
10— प्रभारी अधिकारी,पुलिस नियंत्रण कक्ष,जहॉगीराबाद भोपाल।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला—भोपाल

Scanned with CamScanner